बिन्दु सं0–(अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्य और कर्तव्य

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड

(एक सरकारी (सार्वजनिक) कम्पनी जैसा कि कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 517 में परिभाषित है)

1. कम्पनी का नाम **उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0** है।

2. कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय उ0प्र0 राज्य में अवस्थित रहेगा।

3. उद्देश्य, जिनके लिए कम्पनी स्थापित की गयी है, हैं :–

(क) मुख्य उद्देश्य जिनका कम्पनी द्वारा अपने निगमन पर अनुसरण किया जायेगा :–

(1) उ0 प्र0 राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गो के लिये आवास योजनाओं और उससे सम्बन्धित योजनाओं को बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।

(2) सिविल अभियन्ता के रूप में कार्यो की जिम्मेदारी लेना, सड़कों और सभी प्रकार के भवनों, बैराजों, बाँधों, जलमार्गों, पुलों, पुलियों, रज्जु मार्गों, विद्युत व सफाई सम्बन्धी संस्थापनों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण तथा सुधार कार्य पूरा करना।

(3) सड़कों एवं समस्त प्रकार के भवनों से सम्बन्धित सब प्रकार की ईटों, खपरैलों, मिट्टी के बर्तनों, सीमेन्ट, पत्थर, बालू, लोहे के सामान और अन्य भवन सामग्रियों का व्यापार करना या साज–सामानों, औजारों व मशीनरी अन्य प्रकार से निर्माण करना, क्रय–विक्रय करना, संस्थापन करना, चालू करना, परिवर्तन करना, सुधार करना, दक्षता से चलाना।

(4) राज्य सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में लिये गये किन्हीं भी सड़कों, भवनों का क्रय करना, पट्टे पर लेना या निर्माण, अनुरक्षण अथवा उनका प्रबन्ध करने के उद्देश्य से अन्य प्रकार से अधिकार में लेना।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी परिवहन सेवा को स्थापित करना, बनाये रखना और प्रचालन करना।

(ख) मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक या सहायक उद्देश्यः–

(1) कार्यों के निर्माण, निष्पादन, कार्यान्वयन, साज–सामान, सुधार, प्रबन्ध, प्रशासन या कार्यों के नियंत्रण और सुविधाओं के लिये या उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देना, टेन्डर देना या अन्य प्रकार से संविदाओं व सुविधाओं को प्राप्त करना तथा उसे लेना, निष्पादित, कार्यान्वित, निस्तारित या अन्य प्रकार से हित के अनुकूल करना।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य, देश या उपनिवेश

की सरकार या किसी प्राधिकारी चाहे स्थानीय हो या अन्यथा या अन्य व्यक्ति जो कम्पनी के उद्देश्यों या उद्देश्य के लिये सहायक दिखाई दे के साथ किसी व्यवस्था में प्रवेश करना तथा उनसे अधिकारों, शक्तियों व विशेषाधिकारों, लाइसेंसों, अनुदानों व रियायतों को प्राप्त करना जिन्हें कम्पनी प्राप्त करना अभीष्ट समझे और ऐसी व्यवस्थाओं, अधिकारों व रियायतों का पालन करना, प्रयोग करना और अनुपालन करना।

(3) कम्पनी के उद्देश्यों या उद्देश्य को बढ़ाने या पूरा करने के लिय किसी अन्य कम्पनी या व्यक्ति के साथ ढंग से संविदा करना जिसे कम्पनी अपने हितों के लिये उचित और सहायक समझे।

(4) कम्पनी के कारोबार के सम्बन्ध में इस्पात, लोहा, सीमेन्ट, कंकरीट, लकड़ी या अन्य वस्तु अथवा उसके अन्य संयोग के प्रयोग से निर्माण की किसी रीति, पद्धति या प्रक्रिया को प्राप्त करना, प्रयुक्त करना, विकसित करना या अन्य प्रकार हित के अनुकूल करना।

(5) समस्त इंजनों, निर्माण कार्यों, संयंत्रों, मशीनों मालगाड़ी के डिब्बों, रेल के इंजनों व डिब्बों आदि औजारों, उपकरणों, गृहस्थी के बरतनों, साधनों, औजारों, उत्पादानें, पदार्थों, द्रव्यों, सामग्रियों व वस्तुओं, जो किसी व्यापार में जिसे कम्पनी से लेन–देन रखने वाले किन्हीं व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित हो, या व्यक्ति जो ऐसे व्यवसाय में संलग्न हो जो उसके सम्बन्ध में लाभप्रद रूप से लेन–देन करने में समर्थ दिखाई दें, का क्रय–विक्रय, निर्माण, मरम्मत करना, आश्रय देना, चातुरी से प्रबन्ध करना, बदलना, सुधारना, अदल–बदल करना, किराये पर लेना, किराये पर देना, आयात–निर्यात करना और व्यापार करना तथा समस्त शेष उत्पाद जो किसी व्यापार, जो कम्पनी द्वारा किया जाने वाला हो, से प्रासंगिक हो या उसमें प्राप्त किये गये हों का निर्माण करना, उनसे प्रयोग करना, क्रय–विक्रय के योग्य बनाना और उनका व्यापार करना।

(6) ऐसी संस्था, व्यवसाय या कम्पनियाँ चाहे औद्योगिक हो, अभियांत्रिकी हो, कृषि सम्बन्धी हो, वाणिज्यिक हो, निर्माण सम्बन्धी हो या अन्य जो कम्पनी के लाभ व हित के लिये सहायक समझे जायें, में रूचि लेना, उन्हें बढ़ाना, और उनके निर्माण, स्थापना व अनुरक्षण की जिम्मेदारी लेना तथा अन्य व्यवसाय औद्योगिक, अभियांत्रिक, कृषि सम्बन्धी, वाणिज्यिक, निर्माण सम्बन्धी हो या अन्य जो कम्पनी को मुख्य उद्देश्यों में से किसी के सम्बन्ध में सुविधापूर्ण तरीके से प्रबन्ध किये जाने में समर्थ दिखे या अन्य प्रकार से परिगणित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी के सम्पत्ति या अधिकारों को फिलहाल लाभदायक बनाना तथा किसी देश या देशों में, किसी उद्योग या उपक्रम में प्राप्त करना, बढ़ाना, सहायता देना, पालन करना, आर्थिक सहायता देना अथवा हित प्राप्त करना।

(7) क्रय करना, पट्टे या किराये पर लेना या विनिमय में किराये पर लेना, विकल्प लेना, या अन्य प्रकार से किसी सपदा या हित के लिये प्राप्त करना, तथा अधिकार में रखना, विकसित करना, कार्य करना, सम्बर्धन करना, निपटाना तथा रियायतों, अनुदानों, डिगरियों, अनुज्ञाओं, विशेषधिकारों, स्वत्वों, विकल्पों, पट्टों, वास्तविक या

व्यक्तिगत या किसी प्रकार के अधिकारों या शक्तियों को जो कम्पनी के किसी व्यापार के लिये आवश्यक या सुविधाजनक हो, हित के अनुकूल करना।

(8) किन्हीं भू–भागों के साधनों, सम्पत्तियों, अधिकारों, या विशेषाधिकारों को, जिन्हें कम्पनी द्वारा किसी समय अर्जित किया जाना हो, सामान्यतः विकसित करना।

(9) विक्रय करना, विनिमय करना, बंधक रखना, पट्टा, रायल्टी, स्वत्व या राजकर, अनुदान, अनुज्ञाओं, दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकारों, विकल्पों पर देना, एवं अन्य अधिकारों पर तथा अन्य किसी रीति से उपक्रम, सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, अधिकारों तथा कम्पनी की सम्पत्तियों या उनका कोई भाग ऐसे विचार के लिये जो उचित समझा जाय और विशेष रूप से किसी अन्य कम्पनी के स्टाकों, शेयरों चाहे पूर्ण रूप से अदा किये गये हों या आशिक रूप से डिबेंचरों या प्रतिभूतियो का व्यापार या निस्तारण करना।

(10) कम्पनी की समस्त या आंशिक सम्पत्ति और अधिकारों चाहे चल हो या अचल, की व्यवस्था करना, सुधार करना, विकसित करना तथा हित के अनुकूल करना या अन्य प्रकार से व्यापार करना।

(11) विशेषज्ञों, भारतीय तथा विदेशीय सलाहकारों व अन्य व्यक्तियों को कम्पनी के प्रचालन के सम्बन्ध में नियुक्त करना और उन्हें भुगतान करना।

(12) कम्पनी की शाखाओं या एजेन्सियों को भारत में किसी स्थान पर अन्यत्र स्थापित करना, व्यवस्थित करना, तथा उसे बन्द करना।

(13) एकस्व, एकस्व अधिकार, सम्मानस्वक अविष्कार अनुज्ञाओं, संरक्षण्यें व सुविधाओं, जो कम्पनी के लिये लाभदायक या उपयोगी होना सम्भावित दिखाई दे, का क्रय करना या अन्य उपाय से अर्जित व प्रक्षेप करना, बढ़ाना और नवीनीकृत करना चाहे उत्तर प्रदेश राज्य में हो या अन्यत्र और एकस्व प्राप्त अविष्कारों या अधिकारों, जिन्हें कम्पनी अर्जित करे या अर्जित करना प्रस्तावित करे, का उपयोग करना एवं हित के अनुकूल करना और निर्माण करना वा उन पर प्रयोग करने वा जांचने और सुधार करने या सुधार करने को खोजने में धन व्यय करना।

(14) किन्ही प्रचालनों, निर्माण, या भवनों, जो कम्पनी के उद्देश्यों के लिये उपयोगी या उपयुक्त या सुविधाजनक या ग्राहय हो, जो अन्य के द्वारा निर्मित किये जायें या उनसे सम्बन्धित हो या उनके द्वारा चलाये जा सकें या उनके नियंत्रण या अधीक्षण के अन्तर्गत हों के निर्माण, अनुरक्षण, सुधार, प्रबन्ध, व्यावहारिक नियंत्रण या अधीक्षण में आर्थिक सहायता देना, अंशदान करना या अन्य प्रकार सहायता देना या भाग लेना तथा किन्हीं व्यक्तियो या कम्पनियों को, जो कम्पनी के संयोजन से किसी उपक्रम या प्रचालन के लिये उत्तरदायी हों या उससे सम्बन्धित हों, या उसमें रूचि रखने वाले हों, को आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता देना।

(15) कम्पनी द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शेयरों में अर्जित किसी भूमि, व्यवसाय, सम्पत्ति, परिसम्पत्ति या अधिकारों के लिये भुगतान करना।

(16) कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 58 अ के प्राविधानों के अधीन सरकार को अग्रिम देना, उसके पास धन जमा करना या उसे धन, प्रतिभूतियाँ व सम्पत्ति उधार देना और उसके अधिकारों व जमा धनराशियों को प्राप्त करना।

(17) विधि के संगत प्राविधानों के अनुपालन करने पर लाभों का हिस्सा लेने या उसे पूल करने, समामेलन, हित के सामंजस्य, सहयोग, संयुक्त साहसिक कार्य, पारस्परिक सुविधा या अन्यथा के लिये साझेदारी में या किसी व्यवस्था में प्रविष्ट होना या किसी व्यक्ति या कम्पनी, जो किसी व्यवसाय या संव्यवहार में प्रबन्ध कर रही हो या उसमें नियुक्त (संलग्न) हो या प्रबन्ध करने जा रही हो या संलग्न होने जा रही हो के साथ मिलाना जिसे यह कम्पनी प्रबन्ध करने के लिये अधिकृत है या किसी व्यवसायिक उपक्रम या संव्यवहार में संलग्न है जो प्रबन्ध किये जाने में या कार्य संचालप किये जाने में समर्थ दिखाई दे जिससे इस कम्पनी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो।

(18) रूपया उधार देना या तो प्रतिभू के साथ या बिना प्रतिभू के, और सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी शर्तो पर जो उपयुक्त दिखाई दे और विशेष रूप से कम्पनी के ग्राहकों और कम्पनी से लेन–देन रखने वाले व्यक्तियों को, बशते कम्पनी बैंकिंग कारोबार नहीं करेगी जैसा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अन्तर्गत परिभाषित है।

(19) वित्तीय व वाणिज्यिक दायित्वों, संव्यवहारों तथा समस्त प्रकार की क्रियाओं की जिम्मेदारी लेना।

(20) किसी कम्पनी, निगम, फर्म या किसी मामले में अन्य व्यक्तियों के लाभाशों, व पूँजी पर ब्याज, शेयरों व प्रतिभूतियो के दायित्व के सम्पादन व भुगतान की गारन्टी करना जिसमें ऐसी गारन्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी के उद्देश्यों को या उसके शेयरधारियों के हितों को आगे बढ़ाना सम्भावित माना जाय।

(21) धन जा कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया हो या न किया गया हो या कम्पनी के अधीन देय हो या कम्पनी या सर्वोच्च प्राधिकारी चाहे सर्वोच्च हो, नगरपालिका सम्बन्धी हो, स्थानीय हो या अन्यथा अथवा कोई फर्म, कम्पनी या अन्य व्यक्ति चाहे जो हो, निगमित हो या नहीं सम्बन्ध में हुण्डियों, बाण्डों, डिबेंचर स्टाक, डिबेंचरों, संविदाओं, बंधकों, व्ययों, दायित्वों, लेखपत्रें और किसी कम्पनी की प्रतिभूतियों के भुगतान की गारण्टी करना तथा सामान्यतः किन्हीं संविदाओं और दायित्वों के सम्पादन के लिये गारन्टी करना या प्रतिभू होना।

(22) किसी अन्य कम्पनी चाहे भारतीय हो या विदेशी के शेयरों मे, पूंजी व प्रतिभूतियों में या दायित्वों के लिये चन्दा देना उन्हें पूर्ण रूप से या सशर्त क्रयया अन्य प्रकार से अर्जित करना और धारण करना, निस्तारित करना और व्यापार करना।

(23) किसी कम्पनी चाहे सीमित हो या असीमित, उत्तर प्रदेश राज्य में या अन्यत्र ऐसी शर्तों पर जैसी कि पहले से तय की गयी हो, के शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचर पूँजियों, बाण्डों पूँजियों व प्रतिभूतियों के चन्दे को निर्गत करना, रखना, बीमा करना या गारन्टी करना अथवा उसे निर्गत करने, रखने, बीमा करने या गारन्टी करने में

सहमत होना या सहायता करना।

(24) विधि द्वारा अधिरोपित सीमाओं के अधीन कम्पनी के किसी धन को, जिसकी फिलहाल आवश्यकता न हो, ऐसे निवेशों (कम्पनी में शेयरों या पूँजी को छोड़कर) में निवेशित करना जिन्हें उचित समझा जाय और ऐसे निवेशों को अधिकार में रखना, बेचना या अन्य प्रकार से उनका व्यापार करना।

(25) धन को इस प्रकार से और ऐसी शर्तों पर उधार लेना या प्राप्त करना जो उपयुक्त दिखाई दे और विशेषकर अग्रिमों, संचयों द्वारा और बाण्डों, डिबेंचरों, विनिमय पत्रें, हुण्डियों या अन्य दायित्वों या कम्पनी की प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा अथवा बंधक हाइपोथिकेशन, प्लेज या कम्पनी की समस्त या आंशिक सम्पत्ति के मूल्य द्वारा उसकी अव्यवसायी पूंजी द्वारा या ऐसी अन्य रीति में जैसा कम्पनी उचित समझेगी तथा मोचन करना, क्रय करना या ऐसी प्रतिभूतियों का पूरा देय चुकाना। जमा संचयों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 58–अ के प्राविधानों तथा विधि के अन्य संगत प्राविधानों का भी विधिवत अनुपालन किया जायेगा।

(26) चेकों विनिमय पत्रों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य हुण्डियों, लदान पत्रों, अधिपत्रों, डिबेंचरों तथा अन्य हस्तान्तरणीय या स्थानान्तरणीय लेखापत्रों या प्रतिभूतियों को आहरित करना, तैयार करना, स्वीकार करना, छूट देना, निष्पादित करना और निर्गत करना किन्तु बैंकिंग कारोबाद न करना जैसा बैकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में परिभाषित है।

(27) विज्ञापन, बीमा, कमीशन, दलाली, छपाई, लेखन सामग्री एवं अन्य ऐसी वस्तुएँ जो कम्पनी की प्रगति और स्थापना में या जिसे कम्पनी ने प्रारम्भिक माना हो में कम्पनी द्वारा अपने ऊपर लाई गइ हों के कारण सभी मूल्यों, व्ययों और लागतों का भुगतान करना।

(28) कम्पनी के कर्मचारियों, उनके आश्रितों या ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्धियों व अन्य के बच्चों के हित के लिये सामान्य शैक्षिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रावासों को स्थापित करना, अनुरक्षण करना और प्रचालन करना और अनुदान एवं पुरस्कार देना तथा छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(29) उत्तर प्रदेश राज्य में या विश्व के किसी भाग में रसायन अभियन्ताओं, विद्युत अभियन्ताओं, सिविल अभियन्ताओं, यांत्रिक अभियन्ताओं, ड्रिलिंग अभियन्ताओं, उत्पादन अभियन्ताओं और अन्य सब प्रकार के अभियन्ताओं, खनिज या अन्य शिल्प विज्ञानियों, सर्वेक्षकों, मानचित्रकारों, रसायनकों और समस्त अन्य प्राधिधिक कर्मचारी वर्ग व दस्तकारों एवं प्रत्येक वर्ग व किस्म के कारीगरों और लेखाकारों व अन्य के लिये प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं व छात्रावासों को स्थापित करना, अनुरक्षण करना और प्रचालन करना, ऐसे अन्य प्रबन्ध करना जो सभी श्रेणियों के अधिकारियों, कामगारों, लिपिकों एवं अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिये उचित हो जो उस व्यापार जिसे प्रबन्ध करने के लिये कम्पनी अधिकृत है, के लिये उपयोगी या उसमें सहायता देने वाली हो।

(30) चिकित्सालयों, औषधालयों, प्राथमिक सहायता केन्द्रों, और अन्य चिकित्सा संस्थाओं,

जन स्वास्थ्य संस्थाओं, बाजारों, दुकानों व गोदामों, क्लबों, चलचित्रों तथा मनोरंजन स्थलों, मोटर यातायात सेवाओं/आवास कालोनियों, भोजनालयों एवं जलपान गृहों, अतिथि गृहों, छात्रावासों, धोबी खानों, दुग्धशालाओं, अग्नि सेवा केन्द्रों के कर्मचारियों व उनके परिवारों तथा अन्य के हित के लिये स्थापित करना, अनुरक्षण करना और प्रचालन करना।

(31) प्रयोगशालाओं, और प्रायोगिक कार्यशालाओं को वैज्ञानिक और प्राविधिक शोध के लिये, एवं प्रायोगिक कार्यशालाओं को वैज्ञानिक, प्राविधिक और आर्थिक सर्वेक्षणों, प्राविधिक शोधों, प्रयोगों तथा सब प्रकार के परीक्षणों को लेने व प्रबन्ध करने के लिये स्थापित करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना, संवह करना या अन्यथा आर्थिक सहायता देना, अध्ययनों व शोधों वैज्ञानिक या तकनीकी दोनों अन्वेषणों का प्रबन्ध करके, आर्थिक सहायता देकर, धर्मस्व देकर, या सहायता करके प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक या तकनीकी प्राध्यापकों, अध्यापकों व अन्य शिक्षाविदों के पारिश्रमिकों का प्रबन्ध करके या उसमें अंशदान देकर तथा छात्रों को छात्रवृत्तियाँ पारितोषिकों, अनुदानों या अन्य प्रकार देने का प्रबन्ध करना या उसमें अंशदान करना और किसी किस्म के अध्ययनों, शोधों, अन्वेषणों, प्रयोगों, परीक्षणों, व आविष्कारों, जो किसी व्यवसाय जिसे कम्पनी प्रबन्ध करने के लिये प्राधिकृत है, को सहायता देने वाली माना जाय, को सामान्यतः प्रोत्साहित करना, बढ़ाना व पारितोषिक देना।

(32) किसी व्यक्ति, निगम, सरकार या कम्पनी, जिसका व्यवसाय संचालित किये जाने योग्य हो, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी लाभान्वित हो, के व्यापार, सम्पत्ति, समस्त परिसम्पत्ति, सहित यथा मशी, आवास, भवन या कार्यशालाओं एवं दायित्वों, का सम्पूर्ण या कोई हिस्सा क्रय करना या अन्य प्रकार से अर्जित करना।

(33) किसी देश के कानूनों में या उनके अन्तर्गत कम्पनी की पंजीकरण, निगमन व मान्यता को उपलब्ध कराना व उसकी व्यवस्था करना, कम्पनी की एजेन्सियों को नियुक्त करना तथा समस्त कार्यों को जो भारत में या किसी कालोनी, उपनिवेश या विदेश में कम्पनी के किसी व्यापार का प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक हो, सम्पादित करना, विधान मण्डल को, प्राधिकारियों, स्थानीय नगरपालिका, और अन्य निकायों को अधिनियमों, व कानूनों को बनवाये जाने के उद्देश्य के लिये या डिगरियों, सुविधा आदेशों, अधिकारों व विशेषाधिकारों जो कम्पनी के हित में सहायक हों को प्राप्त करने के लिये या तो अकेले या संयुक्त रूप से अन्य के साथ याचिका प्रस्तुत करना या ऐसी याचिकाओं व संव्यवहारो के विरूद्ध विरोध प्रकट करना जो कम्पनी के हित के लिये हानिकारक होने वाले हों और ऐसे कदम उठाना जो कम्पनी को, विश्व के किसी भी भाग में ऐसे अधिकार व विशेषाधिकार देने के लिये आवश्यक हों जो स्थानीय कम्पनियों या ऐसी प्रकृति की साझेदारियों द्वारा अपने अधिकार में लिये जाते हैं।

(34) किसी विधान मण्डल (केन्द्रीय या प्रान्तीय) में या किसी स्थान के प्राधिकारियों, सरकार, स्थानीय नगरपालिका या अन्यथा जिसमें कम्पनी के स्वार्थ हों के साथ समस्त आवश्यक या उचित कदम उठाना तथा कम्पनी के उद्देश्यों, को प्रत्यक्ष

या परोक्ष रूप से प्रबन्ध करने के अभिप्राय के लिये या उसके सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने के लिये किन्हीं समझौता वार्ताओं, सहयोगों का प्रबन्ध करना और किन्हीं व्यक्तियों या कम्पनी द्वारा लिये गये किन्हीं कदमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी या उसके सदस्यों के हितों को हानि पहुँचाने वाला माना जाय, का विरोध करना।

(35) कम्पनी के, व्यवसाय की जानकारी देने के लिये ऐसे उपाय अपनाना जो उपयुक्त दिखाई दें और विशेष रूप से समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर परिपत्रों द्वारा रूचि की कलाकृतियों की क्रय और प्रदर्शनियों द्वारा पुस्तकों व पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा तथा पुरस्कारों, पारितोषिकों व दान देने के द्वारा।

(36) किसी, अवमूल्यन कोष, आरक्षित कोष, निक्षेप कोष, बीमा कोष और कोई अन्य विशेष कोष चाहे कम्पनी की किसी सम्पत्ति को अवमूल्यन के लिये हो या मरम्मत करने, सुधार करने, बढ़ाने या अनुरक्षण करने या किसी, अन्य उद्देश्यों के लिये या कम्पनी के हितों के लिये सहायक हों।

(37) कम्पनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों और पत्नियों व परिवारों या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों या सम्बन्धियों के कल्याण के लिये मकान बनाने में, मकान बनाकर या उसमें अंशदान देकर या धन, पेंशनों, भत्तों, बोनस या अन्य भुगतान स्वीकृत कर भविष्य निर्वाह व अन्य संघों, संस्थाओं, निधियों या न्यास का प्रबन्ध करके या समय–समय पर उनमें अंशदान देकर तथा शिक्षा व मनोरंजन स्थलों, चिकित्सालयों और औषधालयों, चिकित्सा एवं अन्य सेवाओं, जैसा कम्पनी उचित सोचेगी, का प्राविधान करके या चन्दा अथवा अंशदान देकर प्रबन्ध करना।

(38) कम्पनी के किसी कर्मचारी या पूर्व कर्मचारियों को (निदेशकों व पूर्व निदेशकों सहित) या उनके सम्बन्धियों, उनसे जुड़े व्यक्तियों या ऐसे किन्हीं व्यक्तियों के आश्रितों को वार्षिक अनुदान, पेंशन, भत्ते, अनुग्रह दान व बोनस स्वीकृत करना और संघों, संस्थाओं, क्लबों, विद्यालयों, निधियों योजनाओं और न्यासों (धार्मिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक भविष्य निर्वाह या अन्यथा) को स्थापित करना या सहायता देना जिसे किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ देने वाला माना जाय या अन्यथा कम्पनी या उसके सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने वाला माना जाय और कम्पनी के शेयरों का न्यासी द्वारा क्रय के लिये योजना जो कम्पनी के कर्मचारियों के लाभ के लिये ली गयी हो को स्थापित करना तथा अंशदान देना और कम्पनी के कर्मचारियों को धन उधार देना तथा किसी धर्मार्थ उद्देश्य और संस्थाओं व क्लबों, समितियों या निधियो को सहायता व चन्दा देना।

(39) विधि के संगत प्राविधान के अनुपालन के अधीन किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी को, कम्पनी की पूँजी में या कम्पनी की किसी डिबेंचर या डिबेंचर पूँजी या अन्य प्रतिभूतियों में किसी भी शेयर के रखने में या रखने के लिये सहायता करने में या रखने के लिये गारन्टी देने में या कम्पनी की रचना या प्रगति या उसके व्यापार के प्रबंधन में या उसके बारे में की गयी या की जाने वाली सेवा के लिये पारिश्रमिक देना।

(40) देश में वर्तमान समय में प्रचलित कानून के अधीन, समापन की स्थिति में कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति को और विशेष रूप से किसी अन्य कम्पनी, जो इस कम्पनी के सम्पूर्ण या आंशिक परिसम्पत्तियों या दायित्वों के ले लेने के लिये बनाई गई हो, के शेयर, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों को इसके सदस्यों के मध्य वस्तुओं में या अन्यथा जैसा विनिश्चय किया जाय, वितरण करना।

(41) किसी न्यास जिसका भार अपने ऊपर लेना अभीष्ट दिखाई दे, को लेना या निष्पादित करना तथा या तो निःस्वार्थ या अन्य प्रकार से।

(42) कुंओं या मशीनों के लम्बे धुरों को खोदना पाइप व कारखानों को जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम्पनी के हितों को आगे बढ़ाने वाला माना जाय, बिछाना और ऐसे कार्यों के निर्माण, अनुरक्षण तथा सुधार करने के व्ययों का भुगतान करना या उसमें अंशदान करना।

(43) भू–भागों, भवनों, कार्यशालाओं, भण्डारगृहों, संयंत्रों व साज–सामानों, मशीनरी, रेल पथिकाओं, लोको कार्यो व किसी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों या उनमें ब्याज को स्थापित करना, विकसित करना, क्रय करना, विनिमय में समामेलन, अनुज्ञा या रियायत के अधीन पट्टे पर लेना, तथा उन्हीं का अन्वेषण करना, खोजना, विकसित करना, प्रशासन करना, प्रबन्ध करना या नियंत्रण करना और हित के अनुकूल करना।

(44) सलाहकारों के रूप में कार्य करना या किसी कम्पनी, संघ या व्यावसायिक संस्था के नियंत्रण और पर्यवेक्षण का निदेशकों, नियंत्रकों, पर्यवेक्षकों, सलाहकारों या अन्य प्रकार से नामित करके प्रबन्ध करना, या किसी कम्पनी या संघ या व्यावसायिक संस्था जो किसी व्यवसाय का प्रबन्ध करने के लिये या उसमें संलग्ल हो जो कम्पनी के उद्देश्यों के अन्तर्गत या उसके सदृश हों।

(45) सहायक कम्पनियों को इसमें उल्लिखित कम्पनी के किसी उद्देश्य को कार्यान्वित करने के अभिप्राय से स्थापित करना।

(46) अन्वेषण, अध्ययनों या सहायता की तैयारी और परियोजना प्रतिवेदनों को किसी परियोजना की स्थापना के लिये जो कम्पनी के उद्देश्यों से सम्बन्धित हो कम्पनी या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा निष्पादन के लिये हाथ में लेना।

(47) कम्पनी के समस्त या किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति या दायित्वों, चाहे जिस किसी भी प्रकृति के हों, का किसी भी जोखिम के लिये बीमा करना।

(48) कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 78, 205–अ तथा 205–ब के प्राविधानों के अधीन, लाभांश या बोनस या बोनस शेयरों के रूप में रखना, आरक्षित करना या सदस्यों के मध्य वितरित करना, या अन्यथा जैसा कम्पनी समय–समय उचित समझे किसी धन को जो कम्पनी से सम्बन्धित हो, उस धन सहित जो कम्पनी द्वारा निर्गत शेयरों या डिबेंचरों पर प्रीमियम के जरिये अधिशुल्क पर प्राप्त हों, तथा वह धन जा जब्त शेयरों पर लाभांश के सम्बन्ध में प्राप्त हुये हों, तथा ऐसे धन भी जो कम्पनी द्वारा जब्त शेयरों के पुनर्निगमन या स्वत्व न जतलाये गये लाभाशों के

विनियोग से उत्पन्न हुये हों, को लगाना।

(49) किसी वाद, अपील, समीक्षा या पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना–पत्र या किसी भी प्रकृति के किसी प्रार्थनापत्र को संस्थापित करना और प्रतिवाद करना, निष्पादन अनुबन्धों को करना या पंच निर्णय के लिये संदर्भ करना तथा पंच निर्णयों को प्रवृत्त करना, और जहां आवश्यकता हो प्रतिवाद करना एवं ऐसे समस्त उद्देश्यों के लिए वकीलों, न्यायवादियों व अभिकर्ताओं को नियुक्त करना, प्रतिधारित करना और जब आवश्यक हो उन्हें हटाना।

(50) उपरोक्त सभी या उनमें से किसी बात को और ऐसी अन्य सब बातों को जो प्रासंगिक हों या उपरोक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी की प्राप्ति में सहायक माना जाय, प्रमुखों, अभिकर्ताओं, ठेकेदारों, न्यासियों या अन्यथा के तौर पर तथा या तो, अकेले या अन्य के साथ मिलकर करना।

(ग) अन्य उद्देश्य :–

(1) कार्यों का निर्माण करना, कार्यान्वित करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना एवं सुधार करना, पत्थरों की खानों, खानों, कृत्रिम जलमार्गों, जल बंधकों, बंधों, तरंग रोधों, गोदी, जहाज का माल उतारने के घाटों, पोताश्रयों, घाटों, नहरों, कृत्रिम जलाशयों सब प्रकार के सिंचाई एवं नदी निर्माण कार्यों को क्रय करना या अन्य प्रकार अर्जित करना।

(2) कार्यों का निर्माण करना, कार्यान्वित करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना एवं सुधार करना, रेलगाड़ियों, ट्राम गाड़ियों, भोजनालयों, भण्डारगृहों, बाजारों, पानी, गैस, विद्युत प्रकाश, टेलीफोन सम्बन्धी, तार सम्बन्धी, बेतार सम्बन्धी, जल विद्युत सम्बन्धी, विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी कार्यों व विद्युत गृहों को क्रय करना या अन्य प्रकार अर्जित करना।

(3) उत्तर प्रदेश सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करना और सभी प्रकार की एजेन्सी या प्रतिनिधि वाले व्यवसाय जो उपरोक्त किसी व्यवसाय के साथ–साथ किये जा सकें, का भार अपने ऊपर लेना या संव्यवहार करना।

(4) सदस्यों का दायित्व सीमित है।

(5) कम्पनी की अधिकृत शेयर पूँजी रू. पाँच करोड़ (रू. 5,00,00,000) है। जो 5,00,000 के साम्य शेयरों में विभाजित है, प्रत्येक शेयर रू. 100 का और उसमें ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार और शर्तें संलग्न हों जैसा कम्पनी के संस्था अन्तर्नियमों द्वारा फिलहाल दिये गये हों इस अधिकार के साथ कि पूँजी को फिलहाल कई वर्गों में बढ़ाया या कम किया जा सकता है और उसमें ऐसी अधिमान वाली, गारन्टीयुक्त, योग्य या विशिष्ट अधिकारों, विशेषाधिकारों और शर्तों को यथाक्रम संलग्न करना जो कम्पनी के संस्था अन्तर्नियमों द्वारा उनके अनुसार निर्धारित किये जायें तथा ऐसे अधिकारों, विशेषाधिकारों या शर्तों को इस ढंग से बदलना, सुधारना, मिलाना या निरस्त करना जैसा कम्पनी के संस्था अन्तर्नियमों द्वारा फिलहाल दिया गया हो किन्तु कम्पनी एक्ट 1956 के प्राविधानों के सर्वदा अधीन।

हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे लिखे हुए हैं, इस संस्था के ज्ञापन के अनुसरण में अपनी एक कम्पनी बनवाये जाने के इच्छुक हैं और क्रमशः प्रत्येक नाम के सामने अंकित संख्या हम शेयरों की लेने के लिये सहमत हैं।

उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के जन सूचना/सहायक सूचना अधिकारियों की सूची

मुख्यालय स्तर

1–

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव
उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
जन सूचना अधिकारी

क्षेत्रीय स्तर

1–

श्री जी0बी0 मिश्रा
मुख्य अभियन्ता (मध्य)/अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ
सहायक जन सूचना अधिकारी
लखनऊ/फैजाबाद मण्डल

2–

श्री सुशील कुमार
क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली
सहायक जन सूचना अधिकारी
बरेली/मुरादाबाद मण्डल

3–

श्री आर0 डी0 राय
क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद

सहायक जन सूचना अधिकारी
इलाहाबाद

4—

श्री पी0सी0 केन
क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा
सहायक जन सूचना अधिकारी
आगरा मण्डल

5—

श्री नरेश कुमार
अधीक्षण अभियन्ता, गाजियाबाद
सहायक जन सूचना अधिकारी
मेरठ/सहारनपुर मण्डल

6—

श्री राम स्वरूप
अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर
सहायक जन सूचना अधिकारी
कानपुर मण्डल

7—

श्री ए0के0 वर्मा
प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक, वाराणसी
सहायक जन सूचना अधिकारी
वाराणसी मण्डल

8—

श्री डी0एस0 रावत
क्षेत्रीय प्रबन्धक, देहरादून
सहायक जन सूचना अधिकारी
कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल (उत्तरांचल राज्य)

9—

श्री शिव कुमार चौधरी
अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर

सहायक जन सूचना अधिकारी
गोरखपुर/आजमगढ

10–

श्री राजेश कुमार
अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा

सहायक जन सूचना अधिकारी
देवीपाटल मण्डल

उपरोक्त नामित जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारीगण को ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' की प्रति इस आशय से उपलब्ध करायी जा रही है कि वे उसमें निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यक्षेत्र में जनमानस द्वारा वांछित सूचना उन्हें उपलब्ध करायेंगे।

उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 की स्थापना वर्ष 1976 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत हुई थी। निगम का नाम पूर्व में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 था तथा बाद में उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 भी रखा गया था। निगम की अधिकृत अंशपूंजी वर्तमान में रु0 500.00 लाख है, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा निगम को अभी तक चुकता पूंजी के मद में मात्र रु0 15.00 लाख की धनराशि ही उपलब्ध करायी गयी है। निगम के मेमोरेण्डम आफॅ एसोसिएशन में निम्नलिखित पॉच उद्देश्य रखे गये थेः–

- अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं कमजोर वर्गो के लिए आवासीय तथा उससे सम्बद्ध योजनाए बनाना एवं उन्हें लागू करना।

- सिविल इंजीनियर्स के रुप में कार्य करना।

- ईटें, टाईल्स, सीमेन्ट एवं अन्य भवन सामग्री का निर्माण तथा क्रय–विक्रय।

- राजकीय स्वामित्व वाले भवनों, मार्गो आदि के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु उन्हें क्रय करना अथवा पट्टे पर लेना।

- उत्तर प्रदेश राज्य में परिवहन सेवाए स्थापित तथा उन्हें संचालित करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों में से वास्तव में दो ही उद्देश्य क्रमशः अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों एवं समाज के कमजोर वर्गो के लिए आवासीय योजनाए बनाना, उन्हें लागू करना तथा सिविल इंजीनियर्स के रुप में कार्य करना ही प्रमुख थे, जिन्हें निगम ने प्राप्त करने के प्रयास किये है । अन्य तीन उद्देश्य क्रमशः ईटं, टाईल्स एवं भवन सामग्री का निर्माण, शासन के स्वामित्व वाले भवन, सड़कों को पट्टे में लेने एवं उनका निर्माण अनुरक्षण तथा यातायात सुविधाएं स्थापित करना एवं उन्हें चलाना मुख्य उद्देश्य थे।

नगम के अध्यक्ष महोदय को उ0प्र0 शासन द्वारा नामित किया जाता है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग समय–समय पर निगम के पदेन अध्यक्ष रहे हैं।

निगम का जनशक्ति नियोजन अर्थात स्थायी स्टॉफ स्ट्रेन्थ शासनादेश संख्या–2861/26–3–95 दिनांक 29.9.1995 द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत जनशक्ति नियोजन में श्रेणीवार स्वीकृत पद तथा उसके सापेक्ष्य भरे हुए पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र.सं.	श्रेणी	स्वीकृत पद	कुल भरे पद	रिक्त पद
1.	क	65	57	8
2.	ख	110	97	13
3.	ग	563	408	155
4.	घ	86	51	35
	योग	**824**	**613**	**211**

जनशक्ति नियोजन में स्वीकृत पदो के सापेक्ष्य भरे हुए पद काफी कम है, जिससे यह स्पष्ट है कि निगम द्वारा अपने अधिष्ठान व्ययें में कमी की जा रही है तथा सीमित स्टॉफ को रखकर उससे अधिकाधिक कार्य कराया जा रहा है, जो विगत वर्षों में निगम के टर्नओवर में हुई वृद्धि से स्पष्ट है।

श्रेणी
स्वीकृत पद
कुल भरे पद
भरे पद
रिक्त पदों की संख्या

सामान्य
अनुसूचित जाति
जनजाति
पिछड़ी जाति

संख्या
प्रतिशत
संख्या
प्रतिशत
संख्या
प्रतिशत

क
65
57
36
15
26.31
—
—
6
10.16

8

ख
110
97
53
26
26.80
—
—
18
17.89
13

ग
563
408
229
95
23.28
2
0.49
82
19.85
155

घ
86
51
18
19
37.25
1
1.96
13
25
35

824

613

336

155

—

3

—

119

—

211